भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2642
(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)
सरकारी विभागों में कार्मिक बल

2642. श्री गणेश सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने कार्मिक तैनात हैं; और

(ख) उनमें अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सिविल पदों एवं सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.01.2024 तक मंत्रालयों/विभागों में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या लगभग 8.55 लाख है तथा सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, संचालित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2 लाख है।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, जिनमें उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में सीधी भर्ती के माध्यम से कुल नियुक्ति के सापेक्ष ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27% से अधिक रहा है। वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 के दौरान की गई सीधी भर्ती में ओबीसी का प्रतिशत प्रतिनिधित्व, क्रमशः 28.83%, 28.75%, 28.26% और 30.36% था।

******